झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰ सं॰–8 / ज॰स॰(नि॰)सु॰परि॰–16 / 08:–.....राँची, दिनांकः–.....

आदेश

श्री प्रभु शंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार के द्वारा बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक 337 दिनांक 11.03.2003 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किये गएः–

(i) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1999–2000 में की जाएगी।

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

(iii) रु॰ 5,69,591 / –(पाँच लाख उनहत्तर हजार पाचँ सौ इक्यानबे रू॰) मात्र की वसूली।

उपरोक्त दण्ड के विरूद्ध श्री उपाध्याय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका संख्या 4730 / 03 दायर की गयी। जिसमें दिनांक 27.08.03 को पारित न्यायनिर्णय के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया एवं अंकित किया गया कि वादी के मामले में दण्ड देने के लिए मात्र औपचारिकता ही पूरी की गयी है इसलिए वादी को मामले के पुनर्विचार का हक है।

उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 1058 दिनांक 16.10.2003 द्वारा दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया एवं विभागीय पत्रांक 1093 दिनांक 03.11.03 द्वारा पुनः पूर्व के आरोप पत्र के आधार पर ही नियम 55 ए के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा उक्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। परन्तु उक्त निर्णय संसूचित नहीं हो पाया क्योंकि श्री उपाध्याय, कनीय अभियंता की सेवा झारखण्ड राज्य को आवंटित हो गयी।

पुनः झारखण्ड सरकार, जल संसाधन विभाग के संकल्प संख्या 819 दिनांक 03.03. 2009 द्वारा श्री प्रभु शंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार के विरूद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय कार्यवाही (नियम 55 के तहत) प्रांरभ की गयी।

गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा के आलोक में श्री उपाध्याय, कनीय अभियंता को सेवा से मुक्त (Dismissal from service) का वृहद् दण्ड देने के निमित्त द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री उपाध्याय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री प्रभु शंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार संप्रति कनीय अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध प्रमण्डल सं॰–2, चाण्डिल को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया हैः–

(क) श्री उपाध्याय से रू॰ 20,771 / –(बीस हजार सात सौ इकहत्तर रु॰) मात्र की वसूली।

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक रोक।

अतएव एतद् द्वारा उक्त दण्ड को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(डॉ॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

(कृ॰पृ॰उ॰)

ज्ञापांकः— 5396 /राँची, दिनांकः— 2-5-14 /

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सरायकेला खरसावां/संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना, चाण्डिल परिक्षेत्र/श्री प्रभु शंकर उपाध्याय, कनीय अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध प्रमण्डल सं॰—2, चाण्डिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।